तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्रीमती गंगादेवी बनाम राजस्थान सरकार** **अपील संख्या 363/2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018/00273)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.09.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के अधिवक्ता पवन कुमार शर्मा उपस्थित उनकी बहस प्रार्थना पत्रादि पर सुनी गई। उन्होने कथन किया है कि तहसीलदार जयपुर द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत पारित आदेश दिनांक 27.07.2018 के विरूद्ध हस्तगत अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा षडयंत्रपूर्वक व विधि विरूद्ध एवं प्रावधानों के विरूद्ध तहसीलदार के समक्ष पुनः धारा 135(2) के तहत कार्यवाही करवाई जा रही है। अतः तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही की छाया प्रतिलिपि पेश कर निवेदन है कि उचित साक्ष्यों की जॉच करवाकर आदेश प्रदान करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र बाबत अपील को स्वेच्छा से लोक अदालत की भावना से विड्रो करने बाबत प्रस्तुत किया गया है जो शामिल मिलस है तथा आज अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित भी नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील को विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया। **(विकास एस.भाले)** संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	